रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2506] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2015/अग्रहायण 3, 1937
No. 2506] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

का. आ.3160(अ). – जबकि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय को अनुसूचित अपराधों के विचारण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से छत्तीसगढ़ के सिविल जिला उत्तर बस्तर कांकेर, जगदलपुर में बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) और कोंडागांव के लिए विशेष न्यायालय के रूप में एतदद्वारा, अधिसूचित करती है और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के आधार पर श्री शैलेश कुमार केटेरप, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले " न्यायाधीश " के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

S.O. 3160(E).– In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby notifies the Court of 1st Additional Sessions Judge, Jagdalpur, as Special Court for Civil District Uttar Bastar Kanker, Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar (Dantewada) and Kondagaon of Chhattisgarh for the purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for trial of schedule offences and on the recommendations of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Chhatisgarh, Bilaspur, appoints Shri Shailesh Kumar Ketarap, 1st Additional Sessions Judge, Jagdalpur as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009-IS.IV]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

का. आ.3161(अ). – जबकि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 1 सितम्बर, 2010 के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2157 (अ) के तहत् श्रीमती अनीता झा की अध्यक्षता वाले जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से विशेष न्यायालय, जिसका अधिकार क्षेत्र अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा, के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि, जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर की अध्यक्ष श्रीमती अनीता झा को स्थानान्तरित कर दिया गया है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए छत्तीसगढ़ में सिविल जिला उत्तर बस्तर कांकेर, जगदलपुर में बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) और कोंडागांव के लिए एक पृथक विशेष न्यायालय का गठन करने का निर्णय लिया है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2157 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, केन्द्र सरकार, सिविल जिला उत्तर बस्तर कांकेर, जगदलपुर में बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) और कोंडागांव को छोड़कर समस्त छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर को एतद्वारा विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के आधार पर श्री राम प्रसन्न शर्मा, सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस- IV]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

S.O.3161(E). – Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S. O. 2157 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of the District and Sessions Court, Bilaspur presided over by Smt. Anita Jha as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Chhattisgarh for the trial of schedule offences;

And whereas, Smt. Anita Jha who presided over the Court of the District and Sessions Court, Bilaspur has been transferred;

And whereas, the Central Government has decided to constitute a separate Special Court for the Civil District Uttar Bastar Kanker, Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar (Dantewada) and Kondagaon in Chhattisgarh for trial of schedule offences;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S. O. 2157 (E), dated the 1st September, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the District and Sessions Court, Bilaspur as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for trial of Schedule Offences throughout the State of Chhattisgarh except the Civil District Uttar Bastar Kanker, Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar (Dantewada) and Kondagaon and on the recommendations of the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh appoints Shri Ram Prasanna Sharma, Sessions Judge, Bilaspur as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.